न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -95/2022

अनवान

घासीलाल पिता श्री गणेशलाल दरोगा, जाति राजपूत, आयु वालिग, निवासी भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़, द्वारा अध्यक्ष जगदीश चन्द्र सुथार।

-वादी

बनाम

1. छोटूलाल पिता श्री गोमा जी, जाति राजपूत, आयु 65 वर्ष, निवासी उपरलागढ, भैंसरोड़गढ़, हाल मुकाम चावण्ड का खेड़ा, मजरा भवानीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्री मनोज सिंह पिता श्री हुसैन जी, जाति राजपूत, आयु 35 वर्ष, निवासी उपरलागढ, भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. श्री प्रताप सिंह पिता श्री हुसैन जी, जाति राजपूत, आयु 35 वर्ष, निवासी उपरलागढ, भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. गीता बाई पत्नी स्व. श्री हुसैन जी, जाति राजपूत, आयु 35 वर्ष, निवासी उपरलागढ, भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. केसर सिंह पिता श्री सूर्यभान सिंह, जाति राजपूत, आयु 28 वर्ष, निवासी भैंसरोड़गढ़, हाल मुकाम कनिष्ठ सहायक, निकुम्भ, उप तहसील निकुम्भ, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. हिम्मत सिंह पिता श्री सूर्यभान सिंह, जाति राजपूत, आयु 25 वर्ष, निवासी उपरलागढ, भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. शान्ती बाई पत्नी स्व. श्री सूर्यभान सिंह, जाति राजपूत, आयु 60 वर्ष, निवासी उपरलागढ, भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी
श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 05.12.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने हज न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 रा0टि0 एक्ट बाबत् बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जिसमें लिखे गये समस्त कथन सदृढ़ आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही वादी के पक्ष में निर्णित होगा लेकिन उक्त वाद पत्र के निर्णय होने में समय लगने की संभावना है, इस बीच में अप्रार्थीगण्ण, प्रार्थी/वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी पर कब्जा कर उसे खुर्द-बुर्द कर देने पर आमादा है जिन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर रोका जाना नितान्त आवश्यक होने से यह वाद पत्र पेश किया हैं। ग्राम भवानीपुरा, प0ह0 भैंसरोड़गढ़,, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 25 खसरा संख्या 38, 39 70, [illegible] .8100 हैक्टर खाते में प्रार्थी घासीलाल के नाम खाते दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्[illegible] आराजीयात पर प्रार्थी कदीमी समय से काबिज होकर काश्त करता [illegible] उक्त वर्णित कृषि भूमि को काफी अंग मेहनत कर रूपया खर्च कर काबिल [illegible] है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात पर प्रार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चल [illegible] रहा था तथा प्रार्थी काफी वृद्ध हो जाने के कारण अपने पुत्र के पास जाकर निवास करने लग [illegible] गया था, इस बात का फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 ने प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजीयात आराजी संख्या 70 रकबा 0.9600 हैक्टर, आराजी संख्या 71 रकबा 0.02 हैक्टर, आराजी संख्या 92 रकबा 0.8800 हैक्टर, आराजी संख्या 93 रकबा 0.11 हैक्टर, कुल किता 04 कुल रकबा 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

9700 हैक्टर कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा करने की नियत से कृषि आराजियात को ट्रेक्टर से हांक दिया जिसकी जानकारी मुझ प्रार्थी को दिनांक 18.06.2021 को हुई तब मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2022 को अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 का उक्त बात का ओलमा दिया व कब्जा छोड़ने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 लड़ाई-झगड़ा करने पर उतारू हो गये और कहन लगे कि हमने कब्जा जो करना है जो कर लिया है तुझे जो करना है, कर लेना हम कोर्ट, थाना, कचहरी से नहीं डरते है, ऐसा कहकर वादी को वहां से भगा दिया। उसके बाद प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.06.2022 को ही राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया, जिससे भी स्पष्ट प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी कृषि आराजी संख्या 70, 71, 92, व 93 कुल किता 04 कुल रकबा 1.9700 हेक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जिसे बेदखल किया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम मौजा भवानीपुरा, प0ह0 भैंसरोड़गढ़, की पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजी संख्या 70 रकबा 0.9600 हैक्टर, आराजी संख्या 71 रकबा 0.02 हैक्टर, आराजी संख्या 92 रकबा 0.8800 हैक्टर, आराजी संख्या 93 रकबा 0.11 हैक्टर, कुल किता 04 कुल रकबा 1.9700 हैक्टर भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थी की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमि में किसी प्रकार का अमल दखल ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूराम देराश्री मय वकालतनामा प्रस्तुत हो जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 1 से 7 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 अस्वीकार होकर जवाब है कि प्रार्थी ने निहायत ही झुठे मनगढंत एवं कमजोर तथ्यों पर आधारित झुठा वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान का सही तथ्यों से अवगत नही कराया है जो किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 अस्वीकार होकर जवाब है कि ग्राम भवानीपुरा प0ह0 भैंसरोडगढ की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 25 पर दर्ज रिकार्ड कृषि भूमियां खसरा संख्या 38, 39, 70, 71, 92, 93 रकबा 3.81है0 कृषि भूमियों पर प्रार्थी घासीलाल ने अपना कब्जा बताकर काबिज काश्त होकर काश्त करना अंकित किया हे जो कानुनन गलत तथ्यों के रूप में अंकित किया है क्योंकि उक्त कृषि भूमियों में से प्रार्थी एवं विपक्षीगणों के बीच में दिनांक 07/07/1968 से पूर्व ही बंटवारा होकर उक्त खसरा नम्बरों मे से खसरा संख्या 70, 71, 92, 93 कुल किता 04 रकबा 1.94है0 कृर्षि भूमियों पर विपक्षीगणों के कब्जा सिपूर्द कर दिया था तथा कृषि भूमियां मौके पर नाप चोक कर हस्तानान्तरित कर दी थी तभी से विपक्षीगणों उक्त कृषि भूमियों पर काबिज हो गये तथा विपक्षीगणों ने अपनी अंग मेहनत से उक्त कृषि भूमियों को जो उस समय नाकाबिल काश्त थी उन्हे काफी धन-राशि एवं रूपया खर्च कर काबिल काश्त बनाकर आबाद की तथा कृषि भूमियों के चारो ओर पत्थर की कोट बनवाई तथा कृषि भूमियों मे से लकडी के ढूट व पत्थर निकाल कर आबाद किया तथा लगातार 55 वर्षो से कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसकी लिखा पढी भी प्रार्थी घासीलाल ने विपक्षीगणों एवं उनके पूरखों के पक्ष मे कर रखी है जो इस जवाब दावे के साथ पेश है। प्रार्थना प? की चरण संख्या 03 अस्वीकार होकर जवाब है कि उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियां पर प्रार्थी घासीलाल कभी भी काबिज नही रहा है प्रारम्भ से ही अर्थात सन 1968 से पूर्व से ही उक्त कृषि भूमियों को घासीलाल ने आपसी रजामंदी से विपक्षीगण एवं उनके पूर्वजों को विक्रय कर दी थी किन्तु उक्त कृषि भूमियों [illegible] रूपयों की व्यवस्था नही होने के कारण तथा वादी एवं विपक्षीगण एवं उनके पूर्वजों के बीच [illegible] एवं गहन प्रेम होने तथा उक्त कृषि भूमियां तत्समय प्रार्थी के पिता के [illegible] इन्तकाल नहीं खुल पाने से कृषि भूमियां विपक्षीगणों के [illegible] के नाम नही करवाई जा सकी तथा वादी ने अपने बेचान नाम में उक्त कृषि भूमियों का इन्त[illegible] प्रार्थी के नाम नामान्तरण खुलवाकर पंजियन करवाने हेतु अपने विक्रय पत्र चिटठी में लिख दिया कि इसके पश्चात विपक्षीगण ने कई मर्तबा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमियों का पंजियन विक्रय पत्र विपक्षीगण के नाम करवाने हेतु कहा परन्तु वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करता रहा तथा प्रार्थी के मन में बदनीयान्ती व लालच आ जाने से उसने वक्त कृषि भूमियों का पंजीकृत विक्रय पत्र विपक्षीगण के ना नहीं करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

जबकि प्रार्थी ने स्वयं ही विपक्षीगणों के विश्वास हेतु दिनांक 07.08.1968 को उक्त कृषि भूमियों की बेचाननामा चिटठी विपक्षीगण के दादा स्व0 गोमाजी के नाम गवाहान के मौजूदगी मे लिख दी थी तथा कृषि भूमियों पर कब्जा भी उसी समय सुपुर्द कर दिया था। अंत में प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का कानुनन अधिकारी नही है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमियों पर विपक्षीगण लगभग 60-70 वर्षो का काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा बेचाननामा चिटठी दिनांक 07.08.1968 के आधार पर विधिवत रूप से अपने हक व हिस्से की 09 बीघा कृषि भूमियों पर अर्थात खसरा संख्या 70, 71, 92, 93 रकबा 1.97है0 कृषि भूमियों एवं आराजी चाह पर काबिज होकर उक्त कृषि भूमिया विपक्षीगण के एडवर्स पजेशन में भी है जो प्रार्थी के पिता गणेशलाल तथा विपक्षी संख्या 01 छोटूलाल के पिता तथा विपक्षी संख्या 02 से लगायत 07 के दादा जी स्व0 गोमा जी दोनों में मिलकर 18 बीघा कृषि भूमियां बनाई तथा उन्हे आबाद की जिसमें से 09 बीघा कृषि भूमियों पर प्रार्थी तथा अन्य 09 बीघा पर काबिज है जिनका मौके पर बंटवारा होकर अपने अपने हक व हिस्से की कृषि भूमियों पर काबिज होकर आपसी सहमति से बंटवारा कर आबाद कर काश्तकारी कार्य करते चले आ रहे है। इस कारण तथा वादकारण के अभाव मे प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के कानुनन हकदार नहीं है तथा प्रार्थी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। पेरोकार सरकार अनुसार ग्राम भवानीपुरा प0ह0 सणीता की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 25 आराजी संख्या 38, 39, 70, 71, 92, 93 कुल किता 06 कुल रकबा 3.81है0 भूमि घासीलाल पिता गणेशलाल हिस्सा पूर्ण जाति दरोगा निवासी भैंसरोडगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी संख्या 38, 39 पर घासीलाल पिता गणेशलाल का कब्जा है तथा आराजी संख्या 70, 71, 92, 93 कुल किता 1.92है0 भूमि पर छोटू पिता गोमा, मनोज सिंह, प्रताप सिंह पिता हुसैन, गीताबाई पत्नि हुसैन, केसर सिंह, हिम्मत सिंह पिता सुर्यभान सिंह, शान्ति बाई पत्नि सुर्यभान सिंह आदि द्वारा सम्मलित कब्जा कर रखा है। उक्त आराजी संख्या 70, 71, 92, 93 कुल किता 4 रकबा 1.92है0 भूमि पर अप्रार्थीयों द्वारा लम्बे समय से कब्जा कर काश्त कर रहे है एवं चारो और पत्थर की दिवार कर रखी है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की जमीन ग्राम भवानीपुरा, प0ह0 भैंसरोड़गढ़,, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 25 खसरा संख्या 38, 39 70, 71, 92, 93 कुल किता 06 कुल रकबा 3.8100 हैक्टर खाते में प्रार्थी घासीलाल के नाम खाते दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर प्रार्थी कदीमी समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, उक्त वर्णित कृषि आराजियात पर प्रार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था तथा प्रार्थी काफी वृद्ध हो जाने के कारण अपने पुत्र के पास जाकर निवास करने लग गया था, इस बात का फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 ने प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजीयात आराजी संख्या 70 रकबा 0.9600 हैक्टर, आराजी संख्या 71 रकबा 0.02 हैक्टर, आराजी संख्या 92 रकबा 0.8800 हैक्टर, आराजी संख्या 93 रकबा 0.11 हेक्टर, कुल किता 04 कुल रकबा 1.9700 हैक्टर कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा करने की नियत से कृषि आराजियात को ट्रेक्टर से हांक दिया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थी की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमि में किसी प्रकार का अमल दखल ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगणों के बीच में दिनांक 07/07/1968 से पूर्व ही बंटवारा होकर उक्त खसरा नम्बरों मे से खसरा संख्या 70, 71, 92, 93 कुल किता 04 रकबा 1.94है0 कृषि भूमियों पर विपक्षीगणों के कब्[illegible] मौके पर नाप चोक कर हस्तानान्तरित कर दी थी तभी से विपक्षीगणों उक्त कृषि [illegible]ज हो गये तथा विपक्षीगणों ने अपनी अंग मेहनत से उक्त कृषि [illegible] विपक्षीगण लगभग 60-70 [illegible] है तथा बेचाननामा चिटठी दिनांक 07.08.1968 के आधार [illegible] हक व हिस्से की 09 बीघा कृषि भूमियों पर अर्थात खसरा संख्या 70, 71, 92, 93 रकबा 1[illegible]0 कृषि भूमियों एवं आराजी चाह पर काबिज होकर उक्त कृषि भूमियां विपक्षीगण के एडवर्स पजेशन मे भी है जो प्रार्थी के पिता गणेशलाल तथा विपक्षी संख्या 01 छोटूलाल के पिता तथा विपक्षी संख्या 02 से लगायत 07 के दादा जी स्व0 गोमा जी दोनों में मिलकर 18 बीघा कृषि भूमियां बनाई तथा उन्हे आबाद की जिसमें से 09 बीघा कृषि भूमियों पर प्रार्थी तथा अन्य 09 बीघा पर काबिज है जिनका मौके पर बंटवारा होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

अपने अपने हक व हिस्से की कृषि भूमियों पर काबिज होकर आपसी सहमति से बंटवारा कर आबाद कर काश्तकारी कार्य करते चले आ रहे है। इसलिए प्रार्थी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

-:आदेश:-

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की वहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सवूत ग्राम भवानीपुरा, प0ह0 भैंसरोड़गढ़,, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 25 खसरा संख्या 38, 39 70, 71, 92, 93 कुल किता 06 कुल रकबा 3.8100 हैक्टर खाते में प्रार्थी घासीलाल के नाम खाते दर्ज रिकॉर्ड है, किन्तु पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार उक्त आराजीयात में आराजी संख्या 70, 71, 92, 93 कुल रकबा 1.92है0 पर अप्रार्थीगण का लम्बे समय से कब्जा है। उक्त कृषि आराजीयात का शहादत के आधार पर मूल वाद के निस्तारण पर ही स्थिति स्पष्ट होना प्रतित होती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि ग्राम भवानीपुरा प0ह0 भैंसरोडगढ की खाता संख्या 25 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाए रखें एवं उक्त वर्णित कृषि भूमियों में से अपने कब्जे अनुसार काबिज रहे तथा एक दुसरे की कब्जे काश्त भूमि में किसी प्रकार का अमल दखल ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested